

फर्द अहकाम

(नियम-13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अदालत- सहायक कलक्टर मुकाम- डीडवाना

या:- अफसाना बानों पुत्री स्व० सफी मो० पत्नी नियाज खां उम्र 40 वर्ष जाति कायमखानी निवासी जतनपुरा हाल निवासी खारिया तहसील मौलासर जिला डीडवाना- कुचामन राजस्थान।
बनाम्

प्राथीगण :- मुमताज बानों पत्नी स्व० सफी मो० समस्त जाति कायमखानी निवासीगण जतनपुरा तहसील मौलासर जिला डीडवाना-कुचामन राजस्थान वगैरा।

न मुकदमा- राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या... 91 / 2025 सन्-2025

ख हुक्म हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

6.2025 प्रार्थीया अफसाना बानों पुत्री स्व० सफी मो० पत्नी नियाज खां उम्र 40 वर्ष जाति कायमखानी निवासी जतनपुरा हाल निवासी खारिया तहसील मौलासर जिला डीडवाना- कुचामन राजस्थान ने यह प्रार्थना-पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण मुमताज बानों पत्नी स्व० सफी मो० समस्त जाति कायमखानी निवासीगण जतनपुरा तहसील मौलासर जिला डीडवाना-कुचामन राजस्थान वगैरा के पेश किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो।

स्थगन पर एकपक्षीय तर्क वकील प्रार्थी श्री मो. अली शैरानी को सुना गया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया। रिकॉर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन करने तथा प्रार्थी के शपथ-पत्र पर विश्वास करते हुए, एकपक्षीय सुना जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, वे सरहद जतनपुरा के खसरा नम्बर 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 305, 332, 369 व 581/363 की भूमि पर विक्रय/हस्तानान्तरण, निर्माण नहीं करेंगे एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखेंगे। अप्रार्थीगण को कोई उच्च एतराज हो तो असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें।

नोट :-

1. उक्त स्थगन आदेश धारा 251A, 251, पर प्रभावी नहीं रहेगा।
2. प्रार्थी पक्ष सी०पी०सी० के आदेश 39 नियम 3 की पालना करना सुनिश्चित करें।
3. अप्रार्थीगण के समन जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. से भिजवाये जावें। अप्रार्थीगण को तलब होकर पत्रावली दिनांक 12.06.2025 को पेश हो।

उपस्थित अधिकारी
डीडवाना

12/6/25

पत्रावली पेश हुई। श्री मन्म P.O. सा
अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधार है।
मिसल दिनांक 12/9/25 को पेश हो



18/09/25

पत्रावली पेश हुई । श्री मान P.O. का

अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधारे है।

मिसल दिनांक 24/12/25 को पेश हो

24.12.25

पत्रावली पेश हुई । श्री मान P.O. का

अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधारे है।

मिसल दिनांक 30.12.25 को पेश हो

30.12.25

पत्रावली पेश हुई)

वकील पार्थिमाने पार्थिगा पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण के
जरिये विद्वों रवारिज करवाने का निवेदन किया है।
-थाय दिव में पार्थिगा-पत्र रवीकाल किया जाता है।
प्रकरण को रवारिज किया जाता है पत्रावली नम्बर
से कम होकर फसल सूचार हो।

Vikas

सपखण्ड अधिकारी
डीडवाना